न्यायालय जिला कलक्टर, झुंझुनूं

पीठासीन अधिकारीः—लक्ष्मण सिंह कुडी
आई.ए.एस.

रेफरेन्स प्रा0प0 संख्या 010/2021

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (भूमिधारी) तहसील व जिला झुंझुनूं।

—— प्रार्थी

बनाम

1 नौरंगलाल पुत्र मुंगाराम, जाति जाट, सा0ग्राम गै0 खातेदार, ग्राम बगड, तहसील व जिला झुंझुनूं।

(फौत) वारिसान

1/1 किश्तूरी देवी पत्नि नौरंगलाल, जाति जाट, सा0ग्राम गै0 खातेदार, ग्राम बगड, तहसील व जिला झुंझुनूं।

1/2 यज्ञपाल पुत्र नौरंगलाल, जाति जाट, सा0ग्राम गै0 खातेदार, ग्राम बगड, तहसील व जिला झुंझुनूं।

1/3 विजय कुमार पुत्र नौरंगलाल, जाति जाट, सा0ग्राम गै0 खातेदार, ग्राम बगड, तहसील व जिला झुंझुनूं।

1/4 विमला पुत्री नौरंगलाल, जाति जाट, सा0ग्राम गै0 खातेदार, ग्राम बगड, तहसील व जिला झुंझुनूं।

1/5 सुमित्रा पुत्र नौरंगलाल, जाति जाट, सा0ग्राम गै0 खातेदार, ग्राम बगड, तहसील व जिला झुंझुनूं।

—— अप्रार्थीगण

——

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 232 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 एवं धारा 82 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम 1956

——

उपस्थितः—

1. श्री श्रवण कुमार सैनी, राजकीय एडवोकेट— प्रार्थी की ओर से।
2. श्री संदीप काजला, एडवोकेट— अप्रार्थीगण की ओर से।

आदेश

दिनांक 13.07.2022

1. पत्रावली पेश हुई। उक्त विषयक रेफरेन्स प्रार्थना पत्र विद्वान तहसीलदार झुंझुनूं के द्वारा प्रस्तुत की गई है। रेफरेन्स के तथ्य निम्न प्रकार से है कि मौजा बगड, तहसील व जिला झुंझुनूं की हाल जमाबन्दी संवत् 2074—2077 के खाता संख्या 779 के अनुसार ग्राम बगड मे स्थित भूमि ख0न0 1727 रकबा 0.02 है0 किस्म गै0मु0 रास्ता की गैर खातेदारी नौरंगलाल पुत्र मुंगाराम, जाति जाट, सा0ग्राम गै0 खातेदार, ग्राम बगड, तहसील व [illegible] के नाम दर्ज रिकार्ड है। उक्त वर्णित भूमि के गत ख0न0 एवं पूर्व के रिकार्ड की स्थिति [illegible] दर्ज रिकार्ड है:—

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxman Singh Kuri
Date: 2022.08.04 10:11:51 IST
Reason: SelfAttested

क0 स0	जमाबन्दी संवत्	ख0न0	रकबा	किस्म	जमीन 3 गैर मौरूसी कृषक का नाम व निवास
1	2024—2027	587 मी.	[illegible]	[illegible] रास्ता	नौरंगलाल पु0 मुंगा[illegible] जाति जाट, नि0ग्राम गै0 खातेदार
2	2028—2031	587 मी.	2 बिश्वा	गै0मु0 रास्ता	नौरंगलाल पु0 मुंगाराम, जाति जाट, नि0ग्राम गै0 खातेदार

जिला कलक्टर झुंझुनूं

3	2032–2035	587 मी.	2 बिश्वा	गै0मु0 रास्ता	नौरंगलाल पु0 मुंगाराम, जाति जाट, नि0ग्राम गै0 खातेदार
4	2045–2048	587 मी.	2 बिश्वा	गै0मु0 रास्ता	नौरंगलाल पु0 मुंगाराम, जाति जाट, नि0ग्राम गै0 खातेदार
5	2005 (आधार वर्ष)	1727	0.02 है0	गै0मु0 रास्ता	नौरंगलाल पु0 मुंगाराम, जाति जाट, नि0ग्राम गै0 खातेदार
6	2062–2065	1727	0.02 है0	गै0मु0 रास्ता	नौरंगलाल पु0 मुंगाराम, जाति जाट, नि0ग्राम गै0 खातेदार
7	2065–2068	1727	0.02 है0	गै0मु0 रास्ता	नौरंगलाल पु0 मुंगाराम, जाति जाट, नि0ग्राम गै0 खातेदार
8	2069–2072	1727	0.02 है0	गै0मु0 रास्ता	नौरंगलाल पु0 मुंगाराम, जाति जाट, नि0ग्राम गै0 खातेदार
9	2074–2077	1727	0.02 है0	गै0मु0 रास्ता	नौरंगलाल पु0 मुंगाराम, जाति जाट, नि0ग्राम गै0 खातेदार

उक्त वर्णित भूमि जमाबन्दी संवत् 2024–2027 से गैर खातेदारी दर्ज रिकार्ड है जो बिना किसी कारण व आदेश के दर्ज हुई है। सार्वजनिक उपयोग की उक्त विवादित भूमि किसी व्यक्ति विशेष की खातेदारी कब्जे मे दिया जाना न्यायोचित नही है। इस प्रकार की भूमियों की सुरक्षा करना प्रार्थी तहसीलदार (भूमिधारी) का कर्तव्य है। राजस्व रिकार्ड में गलत अंकन की आड़ में गैर खातेदारी अपने प्रभाव से किसी प्रकार से उक्त विवादित भूमि की खातेदारी ग्रहण कर लेता है तो राज्य सरकार की हक तलफी होगी, अपूर्तनीय क्षति होगी, आमजन को असुविधा होगी, आवश्यक मुकदमेबाजी बढेगी तथा अनेको कानूनी पेचदागियां उत्पन्न हो जायेगी। अतः रेफरेन्स प्रार्थना–पत्र पेश कर निवेदन है कि रेफरेन्स प्रार्थना–पत्र स्वीकार फरमाया जाकर खाता संख्या 779 के अनुसार ग्राम बगड मे स्थित भूमि ख0न0 1727 रकबा 0.02 है0 किस्म गै0मु0 रास्ता की गैर खातेदारी अप्रार्थीगण के खाते से हटाई जाकर राजस्थान सरकार के नाम दर्ज करने के आदेश प्रदान करने की कृपा करें तथा अन्य सिद्धि जो राज्य हित व सार्वजनिक हित में दिया जाना उचित हो व भी दिलाने की कृपा करें।

2 बहस सुनी गई। विद्वान राजकीय अभिभाषक (प्रार्थी) ने बहस के दौरान तर्क प्रस्तुत किया कि ग्राम बगड की सरहद मे स्थित भूमि ख0न0 1727 रकबा 0.02 है0 किस्म गै0मु0 रास्ता के मुताबिक जमाबन्दी संवत् 2024–2027 के अनुसार पुराने भूमि खसरा नम्बर 587 मी0 की गैर खातेदारी नौरंगलाल पुत्र मुंगाराम, जाति जाट, सा0ग्राम गै0 खातेदार, ग्राम बगड, तहसील व जिला झुंझुनूं गैर खातेदार के खाते मे दर्ज रिकार्ड है। संवत् 2012 मे राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी के अनुसार विवादित भूमि रास्ते की भूमि रही है। रेफरेन्स पेश करने के लिए कोई समय सीमा तय नही है। अतः प्रार्थी का प्रा0प0 स्वीकार किया जाकर विवादित भूमि की गै[illegible] अनावेदक के खाते से हटाई जाकर खातेदारी राजस्थान सरकार के नाम [illegible] राजस्व मण्डल अजमेर को भेजे जाने का आदेश फरमाया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxman Singh Kuri
Date: 2022.08.04 10:11:51 IST
Reason: SelfAttested

3 वकील अप्रार्थीगण ने राजकीय अभिभाषक के कथन [illegible] विरोध कर तर्क प्रस्तुत किया कि प्रार्थी रेफरेन्स की प्रार्थना लेकर नही आये है। राजकीय अभिभाषक को स्पष्ट करना चाहिए कि प्रस्तुत रेफरेन्स धारा 232 मे है या धारा 82 मे है एवं किस आदेश के विरूद्व यह रेफरेन्स पेश किया गया है

जिला कलेक्टर झुन्झुनूं

स्पष्ट नही है। अप्रार्थीगण को धारा 15 के तहत खातेदारी मिली है। रिकार्ड मे गै0मु0 रास्ता गलत दर्ज हो गया है। प्रार्थी का रेफरेन्स प्रार्थना पत्र विधिवत् नही है। अतः प्रार्थी का रेफरेन्स प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

4 पत्रावली का अवलोकन किया व बहस राजकीय पैरोकार पर बगौर मनन किया। ग्राम बगड की सरहद मे स्थित विवादित भूमि ख0न0 1727 रकबा 0.02 है0 किस्म गै0मु0 रास्ता जिसके पुराने भूमि खसरा नम्बर 587 मी0 रकबा 2 बिश्वा है की गैर खातेदारी संवत् 2016 से संवत् 2077 तक नौरंगलाल पुत्र मुंगाराम, जाति जाट, सा0ग्राम गै0 खातेदार, ग्राम बगड, तहसील व जिला झुंझुनूं गैर खातेदार के खाते मे दर्ज है। संवत् 2012 से संवत् 2015 तक उक्त विवादित भूमि की खातेदारी राजकीय थी। भूमि की किस्म प्रारम्भ से ही गै0मु0 रास्ता रही है। पत्रावली के सलंग्न दस्तावेजात व जमाबन्दी से तथा राजकीय अभिभाषक के कथनों से पुष्टि होती है कि उक्त आराजी की संवत् 2012 मे राजकीय खातेदारी थी जिसकी गैर खातेदारी अनावेदक के नाम गलत रूप से दर्ज हुई है। विवादित भूमि गै0मु0रास्ते की भूमि है जो प्रतिबन्धित श्रेणी की भूमि है जिसके खातेदारी अधिकार अप्रार्थीगण को नही दिये जा सकते है। ऐसी स्थिति में हम रेफरेन्स माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर को किया जाना उचित समझते हैं।

5 अतः ग्राम बगड तहसील व जिला झुंझुनू स्थित अप्रार्थी की गैर खातेदारी में दर्ज हुई भूमि हाल ख0न0 1727 रकबा 0.02 है0 किस्म गै0मु0 रास्ता की गैर खातेदारी निरस्त करवाने हेतु माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर में रेफरेन्स प्रस्तुत किया जाकर निवेदन है कि भूमि ख0न0 1727 रकबा 0.02 है0 किस्म गै0मु0 रास्ता की गैर खातेदारी अप्रार्थी के नाम से खारिज फरमाई जाकर राजस्थान सरकार के नाम दर्ज करवाने के आदेश फरमाये जावे। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर फैसल शुमार हो एवं बाद तकमील जाप्ता माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर के यहां प्रस्तुत करने हेतु तहसीलदार झुंझुनूं को भेजी जावे।

आदेश आज दिनांक 13.07.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(एल0एस0कुडी)
जिला कलक्टर, झुंझुनूं

Signature Not Verified

Digitally signed by Laxman Singh Kuri
Date: 2022.08.04 10:11:51 IST
Reason: SelfAttested